

पत्रांक 106 /आर0ओ0सिगनल
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 03/08/2018

विषय:- निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2018-19/पी0पी0ओ0 के प्रकाशन
के संबंध में।

.....

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना
संख्या-01/2018-19/पी0पी0ओ0 की पाँच प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते
हुए अनुरोध है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की
जाये। यह भी अनुरोध है कि भेजे गये निविदा सूचना को PRD के Website
पर भी upload किया जाये।

अनुलग्नक:- यथोपरि।

विश्वासभाजन,


(कृष्ण मुरारी सिन्हा),
पुलिस अधीक्षक (वितन्तु),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 1. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार,
पटना को सूचनार्थ कृपया। कृपया इसे आज ही वेबसाईट
पर अपलोड किया जाये।


पुलिस अधीक्षक (वितन्तु),
बिहार, पटना।
पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना।

बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, बेली रोड, पटना

निविदा सूचना संख्या- 01/2018-19/पी०पी०ओ०

1. विभाग का नाम:- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता:- पुलिस अधीक्षक (वितन्तु), बिहार, पटना।
बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, राजबंशी नगर,
बेली रोड, पटना।
3. निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय:- निविदा प्रकाशित होने की तिथि से किसी कार्य दिवस में दिनांक- 20.08.2018 के 1500 बजे तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान:- विज्ञापनदाता का कार्यालय, बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, राजबंशी नगर, पटना-800023
5. निविदा खोलने की तिथि:- दिनांक- 20.08.2018 को 1600 बजे।
6. मद का नाम:- बिहार राज्य के निम्नलिखित जिलों में 100 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।
 - (1) नालन्दा जिला के हिलसा थाना एवं राजगीर थाना।
 - (2) गया जिला के वजीरगंज थाना।
 - (3) रोहतास जिला के चुटिया थाना।
 - (4) कैमूर जिला का रामगढ़ थाना।
 - (5) मुंगेर जिला का धरहरा थाना।
 - (6) जमुई जिला का चन्द्रमुडी, वरहट्टा एवं सिमुलतल्ला थाना।
 - (7) बेगूसराय जिला का तेघडा थाना।
 - (8) बाँका जिला का वेलहर थाना, जयपुर थाना।
 - (9) दरभंगा जिला का बहेरा थाना।
 - (10) अररिया जिला का फारबिसगंज थाना।
 - (11) सुपौल जिला का बीरपुर थाना।
 - (12) सहरसा जिला का वसनही थाना।
 - (13) मुजफ्फरपुर जिला का साहेबगंज थाना।
 - (14) मोतिहारी जिला का ढाका थाना।
 - (15) गोपालगंज जिला का भोरे थाना।
 - (16) बेतिया जिला का सिकारपुर थाना।
 - (17) शिवहर जिला का भी०एच०एफ०(कन्द्रोल) शिवहर।

100 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य के लिए तकनीकी विशिष्टियाँ बिहार पुलिस रेडियो संगठन, राजबंशी नगर, पी०पी०ओ० कार्यालय से निविदा समर्पित करने से 2 (दो) दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकेगा।

निविदा के नियम एवं शर्त

- (1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत् इकाईयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/विक्रेता/एजेण्ट/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जायेगी लेकिन सफल निविदादाताओं को कार्यादेश से पहले बिहार राज्य में जी०एस०टी० पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। अधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत डीलर या एजेण्ट को उनके उत्पादनकर्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। निविदादाताओं को टावर की आपूर्ति एवं स्थापना तथा उसके फैब्रिकेशन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
- (2) निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम-131ज के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा।

(क) तकनीकी भाग:- जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी छ्यौरा शामिल रहेगा।

(ख) वित्तीय भाग:- जिसमें तकनीकी भाग में शामिल की गयी इकाईयों को इकाईवार अलग-अलग मूल्य दर्शाया जायेगा।

(3) निविदा के तकनीकी भाग में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने चाहिये:- (i) बिहार राज्य में जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र (ii) पैन की छाया प्रति (iii) वित्तीय वर्ष-2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का आयकर रिटर्न, (iv) चार्टेड एकाउटेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्ता फर्म का ड्रेडिंग अकाउट /प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउट एवं बैलेंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति मुहर सहित, (v) टाक्कर की आपूर्ति/फैब्रीकेशन आदि के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत होने के प्रमाण पत्र की प्रति, (vi) संबेधित मदों के कुल संख्या के आधार पर बाजार मूल्य के दृष्टिकोण से कुल कीमत को देखते हुए निविदाकर्ता को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से समझ होना अनिवार्य है। ताकि ससमय सामग्री की आपूर्ति/स्थापना में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं हो। (vii) निविदा के साथ दो करोड़ का Bank Solvency Certificate भी जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। (viii) निविदा के तकनीकी भाग में कौन-कौन से अनुलग्नक संलग्न किये गये हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्न सभी कागजात उनकी जानकारी के अनुसार सही है।

निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित कार्य की तकनीकी विवरणी वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा। दरों की वैद्वता 31 मार्च 2019 तक होगी। निविदित मद के लिए दी जाने वाली गारंटी अवधि का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए।

(4) वित्तीय भाग में, तकनीकी भाग में शामिल की गई मद का इकाईवार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित होगा - (क) प्रस्तावित कार्य का मूल्य प्रति इकाई (ख) देय जी०एस०टी० (ग) दर एवं जी०एस०टी० सहित नेट मूल्य प्रति इकाई अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ टंकित रहना चाहिए। दरों में किसी प्रकार को कटिंग/ओभर राइटिंग मान्य नहीं होगा।

(5) तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद होनी चाहिए एवं उनपर तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अंकित होनी चाहिए। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सीलबंद कर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा की निविदा संख्या अंकित रहेगी। उसपर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेंगे। सीलबंद लिफाफा को उपरोक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

(6) निविदा के साथ Earnest money deposit के रूप में 1,00,000.00/-रु० (एक लाख रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट के रूप में पुलिस अधीक्षक(वितन्तु) बिहार, पटना के नाम बंधित कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(7) आई०एस० स्पेसिफिकेशन के मदों का नमूना किसी भी भारतीय मानक ब्यरो/एन०ए०बी०एल० से जॉच कराकर, एजेंसी का टैग एवं सील लगाकर समर्पित करना होगा। साथ ही यह प्रयोगशाला भारत मानक ब्यरो/एन०ए०बी०एल० में मद की जॉच हेतु मान्यता प्राप्त है, इसका प्रमाण-पत्र भी समर्पित कराना होगा। जॉच प्रतिवेदन मूल में समर्पित करना होगा।

(8) निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Affidavit जमा करेंगे कि उनका फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था द्वारा Black listed/Debarred नहीं किया गया है एवं Sister Concern द्वारा इस निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है।

(9) निविदाकर्ताओं को उपरोक्त कार्य स्वयं करने होंगे। इसके लिए अलग से कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामानों को चढ़ाने-उतारने या साईट पर ले जाने वाले खर्च का वहन भी निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।

(10) निविदा के तकनीकी भाग निर्धारित समय एवं तिथि को बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, राजवंशी नगर, पटना में खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

(11) विपत्रों की भुगतान की कारबाई बिहार पुलिस रेडियो संगठन के तकनीकी दल के जाँचोपरान्त उनके प्रतिवेदन के बाद इस संगठन द्वारा स्वीकार करने के बाद ही प्रारंभ की जायेगी।

W

• (12) उपरोक्त किसी भी बांछित सूचना एवं अभिलेखों को शर्तों के अनुसार वित्तीय भाग एवं तकनीकी भाग में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिये जायेंगे। तकनीकी भाग में समर्पित अभिलेखों के आधार पर बैद्य पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय भाग खोली जायेगी और इस संबंध में विज्ञापनदाता का निर्णय ही सभी फर्मों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

अपर पुलिस महानिदेशक, एस०सी०आर०बी०, तकनीकी सेवायें एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एवं बिना किसी सूचना के किसी भी समय निविदा को रद्द कर दे अथवा निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित संख्या को घटा दे या बढ़ा दे।

०३/८/१८

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
~~पुलिस अधीक्षक~~(वितन्तु)
बिहार, पटना